परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/98/5/2022 **12 मई 2022**

प्रति,
साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और एफआरबी के सीईओ (लायड्स सहित)

विषयः मासिक शोधक्षमता विवरणियाँ समाप्त करना
संदर्भः परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/126/05/2021 दिनांक 6 मई 2021

महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किये गये कठिन और चुनौतीपूर्ण समय को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई ने अल्पतर अंतरालों पर सभी बीमाकर्ताओं की स्थिति और शोधक्षमता की स्थिति की ध्यानपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता महसूस की। तदनुसार, बीमाकर्ताओं को मासिक शोधक्षमता विवरणियाँ संबंधित महीने की समाप्ति से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था।

1. चूँकि महामारी के कारण आर्थिक स्थिति सामान्यीकरण की ओर अग्रसर है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि बीमाकर्ताओं द्वारा मासिक शोधक्षमता विवरणियों की फाइलिंग तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। तथापि बीमाकर्ता जिनका शोधक्षमता मार्जिन किसी तिमाही की समाप्ति पर 1.55 से कम है, जब तक शोधक्षमता की स्थिति 1.55 तक बहाल नहीं की जाती, तब तक मासिक शोधक्षमता स्थिति ई-मेल द्वारा finance-nonlife@irdai.gov.in पर रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।
2. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ई) के अधीन जारी किया जाता है।

हस्ता./-
ममता सूरी
कार्यकारी निदेशक